



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र०

12007 पुनरीक्षण

क्रि० 1231-II/07

सरयूप्रसाद पुत्र श्री राजाराम ब्राह्मण  
निवासी ग्राम टुण्डीला तहसील गोहद  
जिला मिण्ड ----- आवेदक  
विद्द

महिला जनकबी पत्नी श्री निरंजनप्रसाद ब्राह्मण  
निवासी ग्राम टुण्डीला हाल निवासी वाई  
नं० 2, कस्बा गोहद तहसील गोहद जिला मिण्ड  
----- अनावेदक

बी. सुकेश कुमार द्वारा काय क्रि० 23-7-07 को प्रस्तुत।

जवर अधिकारी  
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा प्र०क्र० 381/2006-  
2007 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 22-6-2007  
के विद्द पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० मू  
राजस्व संहिता 1959.

21-11-2006 महोदय,  
23-6-2006

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

- (1) यह कि अपर आयुक्त महोदया का विवादित आदेश अवैध, अभिलेख के विपरीत तथा अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।
- (2) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि आवेदक तथा अनावेदक के संयुक्त साते की है। आवेदक तथा अनावेदक प्रत्येक 112 भाग के अभिलिखित भूमिस्वामी हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जिस प्रकार बंटवारा किया गया है वह पंचायत के विधाराधिकार के अनुसार नहीं है।
- (3) यह कि विवादित कृषि साते में कुल 3.53 एकड़ भूमि थी जिसमें से

